

**परिशिष्ट-1**  
**राज्य रूपरेखा**  
(संदर्भ: उत्तराखण्ड का परिचय; पृष्ठ-1)

**अ. सामान्य आँकड़े\*:**

क्रम संख्या	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	53,483 वर्ग किमी
2	जनसंख्या	
	क. 2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख. 2011 की जनगणना के अनुसार	101.17 लाख
3	क. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख. जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) (अखिल भारतीय औसत = 29.80 प्रतिशत)	18.00 प्रतिशत
5	क. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	71.60 प्रतिशत
	ख. साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 प्रतिशत)	79.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 44 प्रति 1000 जीवित जन्म)	36
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 66.10)	अनुपलब्ध
8	गिनी गुणांक**	
	क. ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.276)	0.231
	ख. शहरी (अखिल भारतीय = 0.376)	0.395
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 2012-13 चालू मूल्य पर	108,343
10	प्रति व्यक्ति जी एस डी पी सी ए जी आर (2003-04 से 2012-13)	18.00 प्रतिशत
11	जी एस डी पी सी ए जी आर (2003-04 से 2012-13)	19.80 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि (2003-04 से 2012-13)	16.03

ब : वित्तीय आँकड़े

सी ए जी आर (2003-04 से 2012-13)			
विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)	
सी ए जी आर		2003-04 से 2011-12	2003-04 से 2012-13
क	राजस्व प्राप्तियों का	18.17	17.82
ख	राजस्व कर का	16.45	16.20
ग	करेतर राजस्व का	15.05	17.69
घ	कुल व्यय	15.15	15.06
ङ	पूँजी व्यय	20.16	23.42
च	सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय	16.42	14.39
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राजस्व व्यय	18.99	18.75
ज	वेतन	20.65	19.32
झ	पेंशन	18.96	19.11

\*सामान्य आँकड़ों का स्रोत: आँकड़ों की पुस्तिका जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए है, योजना आयोग, भारत सरकार - 3 मई 2013 (website: <http://planningcommission.gov.in>)

\*\* गिनी गुणांक जनसंख्या में आय की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के समीप असमानता कम है; एक के समीप असमानता अधिक है।

## परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: पृष्ठ-1)

## भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

**भाग- I: समेकित निधि:** राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

**भाग- II: आकस्मिकता निधि:** संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल के स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।

**भाग- III: लोक लेखा:** कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-1.1-क्रमशः

भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	
विवरण	विन्यास
<b>खण्ड 1</b>	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण।
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण।
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण।
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण। लेखे पर कार्य एवं प्रकृति टिप्पणी।
परिशिष्ट 1	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश।
<b>खण्ड 2</b>	
<b>भाग-I</b>	
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण।
विवरण संख्या-6	उधारियों तथा अन्य दायित्वों का विवरण।
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विवरण।
विवरण संख्या-8	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूति का विवरण।
विवरण संख्या-10	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण।
<b>भाग-II</b>	
विवरण संख्या-11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-13	लघु शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-14	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-15	उधारियों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-16	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-17	राजस्व लेखा को छोड़कर व्यय के लिए निधि के स्रोतों तथा उपयोगों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-19	नैमित्तिक निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण।
<b>भाग-III</b>	
<b>परिशिष्ट</b>	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय।
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय।
IV	सहाय्यतित अनुदान (योजनावार व संस्थावार)।
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ।
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय एवं राज्य अयोजनागत योजनायें)।
VII	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का कार्यदायी अभिकरणों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
VIII	शेषों का सारांश।
IX	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम।
X	अपूर्ण निर्माण कार्य।
XI	वेतन व गैर-वेतन अंश को पृथक्-पृथक् दर्शाते हुए अनुरक्षण व्यय।

## परिशिष्ट-1.2

## भाग अ

(संदर्भ: पृष्ठ- 1)

## राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित है. (परिशिष्ट- 1.2 का भाग ब)। वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों के प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेतर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स रा घ उ द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्प्लावकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, स रा घ उ के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ

	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12*	2012-13*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	56,025	70,730	83,966	94,159	108,343
स रा घ उ की वृद्धि दर	22.18	26.25	18.71	12.14	15.06

स्रोत: निदेशक, अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड

\* अनन्तितम आगणन \* त्वरित आगणन \* अग्रिम आगणन

राजकोषीय क्षमता के आगणन हेतु पद्धति

राज्य सरकार की राजकोषीय क्षमता का आगणन करने के लिए, तेरहवें वित्त आयोग में दी गयी निम्न पद्धति अपनाई गयी।

चरण 1: कुल व्यय- स रा घ उ और पूँ व्यय/वि व्यय/सा से व्यय- कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।

चरण 2: कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात के राष्ट्रीय औसत पर आधारित, कुल व्यय की गणना करें जिससे किसी भी राज्य में कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात, राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात्, यदि

$$\text{कुल व्यय/स रा घ उ} = X$$

$$\text{कुल व्यय} = X * \text{स रा घ उ} \dots\dots\dots(1)$$

जहाँ X, कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

जहाँ कहीं भी राज्यों का कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किये गये थे। जहाँ कहीं भी यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, यह राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 3: वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय-कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत के आधार पर सम्बन्धित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय की गणना करें, जिससे कि किसी भी राज्य में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हों, अर्थात्, यदि

$$\text{वि व्यय/कु व्यय} = Y$$

$$\text{वि व्यय} = Y * \text{कु व्यय} \dots\dots\dots(2)$$

जहाँ Y, वि व्यय-कु व्यय अनुपात का राष्ट्रीय औसत है

(2) में (1) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

$$\text{वि व्यय} = Y * X * \text{स रा घ उ} \dots\dots\dots(3)$$

जहाँ कहीं भी राज्यों का वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय-कु व्यय और पूँ व्यय-कु व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किया गया। जहाँ यह अनुपात औसत से कम था, इन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 4: समीकरण (3) के अनुसार आगणित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय के आधार पर, सम्बन्धित प्रति व्यक्ति व्यय की गणना की गयी, अर्थात्

$$\text{प्र व्य वि व्यय} = \text{वि व्यय/ज} \dots\dots\dots(4)$$

जहाँ प्र व्य वि व्यय, प्रति व्यक्ति विकास व्यय है और ज जनसंख्या है।

(4) में (3) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

$$\text{प्र व्य वि व्यय} = (Y * X * \text{स रा घ उ}) / \text{ज} \dots\dots\dots(5)$$

समीकरण (5), समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय उपलब्ध कराता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम है, तब राज्य के व्यय का न्यून स्तर राजकोषीय क्षमता में कमी के कारण है। यह, व्यय के वास्तविक स्तर का चित्रण करता है जबकि सभी राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को राजकोषीय प्राथमिकता, राष्ट्रीय औसत के बराबर देती है।

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ और पद्धतियों का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल(X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण भंडार*ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(आदि शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाया समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय जिसमें मुख्य शीर्ष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

परिशिष्ट-1.2

भाग ब

(संदर्भ: उत्तराखण्ड का विवरण पैरा 1.1; पृष्ठ-2)

राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005  
(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ के अनुरूप मार्च 2011 में आंशिक संशोधित)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विशेष रूप से राज्य सरकार--

- (क) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;
- (ख) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत व तत्पश्चात् वर्ष 2013-14 व 2014-15 में 3 प्रतिशत रखेगी।
- (ग) 1 अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक के आगामी चार वर्षों में जी एस डी पी की तुलना में राजकोषीय दायित्व का अनुपात 41.10 प्रतिशत, 40.00 प्रतिशत, 38.50 प्रतिशत व 37.20 प्रतिशत से अधिक न होना सुनिश्चित करेगी;
- (घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छःमाही में समीक्षित किए जाएँगे।
- (च) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी; एवं
- (छ) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।



## मध्यकालिक राजकोषीय नीति के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (बजटीय)	2012-13 (संशोधित)	2013-14 (परियोजित)	2014-15 (परियोजित)	2015-16 (परियोजित)
<b>ए. राज्य का राजस्व लेखा :</b>							
1. स्वयं का कर राजस्व	4,405.48	5615.56	5980.26	6050.26	7111.42	8249.25	9569.13
2. स्वयं का करेतर राजस्व	678.06	1136.07	1208.17	1517.43	1216.26	1181.56	1276.09
<b>3. स्वयं का कर + करेतर राजस्व (1+2)</b>	<b>5,083.54</b>	<b>6751.63</b>	<b>7188.43</b>	<b>7567.69</b>	<b>8327.68</b>	<b>9430.81</b>	<b>10845.21</b>
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में अंश	2,460.07	2866.10	3388.45	3272.88	3896.39	4363.96	4887.63
5. आयोजनागत अनुदान	2,629.36	3354.51	4831.67	5531.67	6107.07	6717.78	7389.55
6. आयोजनेतर अनुदान	1,435.20	719.18	750.40	839.24	624.58	485.00	485.00
<b>7. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4 से 6)</b>	<b>6,524.63</b>	<b>6939.79</b>	<b>8970.52</b>	<b>9643.79</b>	<b>10628.04</b>	<b>11566.73</b>	<b>12762.19</b>
<b>8. कुल राजस्व प्राप्ति (3+7)</b>	<b>11,608.17</b>	<b>13691.42</b>	<b>16158.95</b>	<b>17211.48</b>	<b>18955.72</b>	<b>20997.54</b>	<b>23607.40</b>
9. आयोजनागत व्यय	4,367.29	4625.16	7048.96	8184.23	8710.38	9581.42	10539.56
10. आयोजनेतर व्यय	10,348.56	12838.36	14882.81	15016.75	16619.46	18447.60	20476.84
11. वेतन व्यय	4,966.14	5511.88	6513.18	6505.22	7404.18	8144.60	8959.06
12. पेंशन	1,141.72	1135.10	1439.80	1439.80	1989.55	2208.40	2451.32
13. व्याज भुगतान	1,479.58	1769.21	2025.00	2119.08	2540.85	2906.83	3320.94
14. उपदान-सामान्य							
15. उपदान-विद्युत							
<b>16. कुल राजस्व व्यय (9+10)</b>	<b>11,621.08</b>	<b>12975.32</b>	<b>15717.11</b>	<b>15985.32</b>	<b>18054.20</b>	<b>19949.89</b>	<b>22543.38</b>
17. वेतन+व्याज+पेंशन (11+12+13)	7587.44	8416.19	9977.98	10064.10	11934.58	13259.83	14731.33
18. राजस्व प्राप्ति प्रतिशत के रूप में (17/8)	65.36	61.47	61.75	58.47	62.96	63.15	62.40
<b>19. राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)</b>	<b>- 12.91</b>	<b>716.10</b>	<b>441.84</b>	<b>1226.16</b>	<b>901.52</b>	<b>1047.65</b>	<b>1064.02</b>
<b>बी. समेकित राजस्व लेखा:</b>							
1. विद्युत के क्षेत्र में हानि/वास्तविक उपदान अन्तरण के निवल लाभ	-						
2. वर्ष के दौरान विद्युत उपयोगिता लेखा में बकायेदारों की वृद्धि (वृद्धि (-))	-						

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

3. आयव्ययक ऋण और पी एस यून और एस पी यून द्वारा लिये गये आयव्ययक ऋण पर ब्याज भुगतान	-						
<b>4. योग (1 से 3)</b>							
<b>समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा</b>	<b>- 12.91</b>	<b>716.10</b>	<b>441.84</b>	<b>1226.16</b>	<b>901.52</b>	<b>1047.65</b>	<b>1064.02</b>
<b>सी. समेकित ऋण:</b>							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	19806.99	21752.77	25028.11	24939.58	28498.94	32565.41	37166.65
2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	2042.28	1739.45	1739.45	1570.15	1570.15	1570.15	1570.15
ए) बजटकृत तथा एस पी वी ऋण हेतु प्रत्याभूतियाँ							
<b>डी. पूँजीगत लेखा:</b>							
1. पूँजीगत परिव्यय	1854.85	2317.31	3653.48	4547.27	4874.19	5264.13	5685.26
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	59.68	246.84	264.05	371.26	248.66	50.00	80.00
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	84.87	490.57	118.10	368.10	684.59	200.00	100.00
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	2382.29	2335.52	3357.00	3357.00	3536.74	4066.47	4601.23
<b>ई. सकल राजकोषीय घाटा (जी एफ डी):</b>	<b>1842.57</b>	<b>1357.48</b>	<b>3357.59</b>	<b>3324.27</b>	<b>3536.74</b>	<b>4066.47</b>	<b>4601.23</b>
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	75475.73	93161.72	107548.25	107548.25	121099.3	136357.80	153538.90
<b>एफ. राजकोषीय घाटा :</b>							
वास्तविक/मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.67	12.35	15.44	15.44	12.60	12.60	12.60

## परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3, 1.9.2 एवं 1.10 (ii); पृष्ठ- (10, 31 &amp; 35)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>भाग अ. प्राप्ति</b>					
1. राजस्व प्राप्ति	8,635	9,486	11,608	13,691	15,747
(i) कर राजस्व	3,045(35)	3,559(38)	4,405(38)	5,616(41)	6,414(41)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,911(63)	2,247(63)	2,940(67)	3,644(65)	4,289(67)
राज्य आबकारी	528(17)	705(20)	756(17)	844(15)	1,118(17)
वाहनों पर कर	167(5)	184(5)	227(5)	335(6)	304(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	357(12)	399(11)	440(10)	524(9)	648(10)
भू-राजस्व	18(1)	9(0.25)	18(0.41)	10(--)	11(--)
माल एवं यात्रियों पर कर	6(-)	--	--	--	--
अन्य कर	58(2)	15(0.42)	24(0.54)	259(5)	44(1)
(ii) करेतर राजस्व	699(8)	632 (7)	678( 6)	1,136(8)	1,603(10)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	1,507(18)	1,550(16)	2,460(21)	2,866(21)	3,273(21)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	3,384(39)	3,745(39)	4,065(35)	4,073(30)	4,457(28)
2. विविध पूँजीगत प्राप्ति	--	--	--	--	--
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	54	65	85	91	428
4. कुल राजस्व एवं ऋणेतर पूँजीगत प्राप्ति (1+2+3)	8,689	9,551	11,693	13,782	16,175
5. लोक ऋण प्राप्ति	1,544	1,682	2,427	2,336	2,968
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,399(91)	1,582(94)	2,384(98)	2,289(98)	2,933(99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	127(8)	69(4)	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	18(1)	319(2)	43(2)	47(2)	35(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्ति(4+5)	10,233	11,233	14,120	16,118	19,143
7. आकस्मिकता निधि प्राप्ति	2	37	582	126	32
8. लोक लेखा प्राप्ति	13,658	14,226	18,829	19,668	21,925
9. राज्य की कुल प्राप्ति (6+7+8)	23,891	25,459	33,531	35,912	41,100
<b>भाग ब. व्यय/संवितरण</b>					
10. राजस्व व्यय	8,394	10,657	11,621	12,975	13,960
आयोजनागत	2,174(26)	2,299(22)	2,472(21)	2,321(18)	2,427(17)
आयोजनेतर	6,220(74)	8,358(78)	9,149(79)	10,654(82)	11,533(83)

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतानों सहित)	3,104(37)	3,694(35)	4,180(36)	4,475(35)	5,372(38)
सामाजिक सेवायें	3,392(41)	4,980(47)	5,169(44)	6,019(46)	6,096(44)
आर्थिक सेवायें	1,623(19)	1,658(16)	1,864(16)	2,102(16)	1,995(14)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	275(3)	325(3)	408(4)	379(3)	497(4)
<b>11. पूँजीगत व्यय</b>	<b>2,016</b>	<b>1,647</b>	<b>1,855</b>	<b>2,317</b>	<b>3,542</b>
आयोजनागत	1,902(94)	995(60)	1,859(100)	2,071(89)	2,972(84)
आयोजनेतर	114(6)	651(40)	(-) 4	246(11)	570(16)
सामान्य सेवायें	174(9)	109(7)	105(5)	77(3)	129(4)
सामाजिक सेवायें	281(14)	109(7)	235(13)	369(16)	715(20)
आर्थिक सेवायें	1,561(77)	1,429(87)	1,515(82)	1,871(81)	2,698(76)
<b>12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>122</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>247</b>	<b>273</b>
<b>13. योग (10+11+12)</b>	<b>10,532</b>	<b>12,334</b>	<b>13,536</b>	<b>15,539</b>	<b>17,775</b>
<b>14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	<b>355</b>	<b>473</b>	<b>519</b>	<b>1,016</b>	<b>1,472</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	318	437	448	667	1,412
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	45	323	31
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	37	36	26	26	29
<b>15. आकस्मिकता निधि को विनियोग</b>		-	<b>515</b>	<b>(-) 400</b>	--
<b>16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	<b>10,887</b>	<b>12,807</b>	<b>14,570</b>	<b>16,155</b>	<b>19,247</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>537</b>	<b>69</b>	<b>32</b>
<b>18. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>13,477</b>	<b>12,322</b>	<b>17,733</b>	<b>19,832</b>	<b>20,961</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>24,396</b>	<b>25,200</b>	<b>32,840</b>	<b>36,056</b>	<b>40,240</b>
<b>भाग स.घाटा आधिक्य</b>					
<b>20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)</b>	<b>(+) 241</b>	<b>(-) 1,171</b>	<b>(-) 13</b>	<b>(+) 716</b>	<b>(+) 1,787</b>
<b>21. राजकोषीय घाटा (4-13)</b>	<b>1,843</b>	<b>2,783</b>	<b>1,843</b>	<b>1,757</b>	<b>1,600</b>
<b>22. प्राथमिक घाटा (21+23)</b>	<b>(-) 655</b>	<b>(-) 1,445</b>	<b>(-) 363</b>	<b>(+) 12</b>	<b>(+) 489</b>
<b>भाग द. अन्य आँकड़े</b>					
<b>23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)</b>	<b>1,188</b>	<b>1,338</b>	<b>1,480</b>	<b>1,769</b>	<b>2,089</b>
<b>24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता</b>	<b>275</b>	<b>324</b>	<b>408</b>	<b>379</b>	<b>497</b>
<b>25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)</b>	<b>83</b>	<b>107/09</b>	<b>93</b>	<b>73</b>	<b>2</b>
<b>26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0.88</b>	<b>0.01</b>
<b>27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)<sup>©</sup></b>	<b>56,025</b>	<b>70,730</b>	<b>83,966</b>	<b>94,159</b>	<b>1,08,343</b>
<b>28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)</b>	<b>16,276</b>	<b>18,748</b>	<b>21,598</b>	<b>23,609</b>	<b>25,540</b>
<b>29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)</b>	<b>1,802</b>	<b>1,511</b>	<b>1,511</b>	<b>1,739</b>	<b>1,570</b>
<b>30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)</b>	<b>1,677</b>	<b>1,386</b>	<b>2,122</b>	<b>2,722</b>	<b>2,722</b>
<b>31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)</b>	<b>382</b>	<b>140</b>	<b>89</b>	<b>63</b>	<b>192</b>

32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	539	2,081	63	121.80	95
<b>भाग य. राजकोषीय सुदृढता-सूचक</b>					
<b>I संसाधन का जुटाव</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
स्वयं का करेतर राजस्व/स रा घ उ	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ					
<b>II व्यय प्रबन्धन</b>					
कुल व्यय/स रा घ उ	0.19	0.17	0.16	0.17	0.16
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.22	1.30	1.17	1.13	1.13
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.80	0.86	0.86	0.83	0.79
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.41	0.40	0.41	0.4
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.30	0.25	0.25	0.26	0.26
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.19	0.13	0.14	0.15	0.20
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.17	0.12	0.13	0.14	0.19
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स रा घ उ	(+)0.004	(-) 0.017	*	(+)0.008	0.016
राजकोषीय घाटा/स रा घ उ	-0.033	-0.039	- 0.022	-0.018	-0.015
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स रा घ उ	-0.012	-0.020	-0.004	*	0.005
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(+)0.131	(-)0.420	(-)0.007	(+)0.408	(-)1.117
प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-)0.016	(-)0.036	(-)0.018	(-)0.011	(-)0.002
<b>IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.88	1.98	1.86	1.72	1.62
मात्रात्मक विस्तार के सापेक्ष प्राथमिक घाटा	(+) 1,694	(+)2,083	(+)1,592	(+)1,811	(+)2,164
ऋण पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	0.95	0.95	0.83	0.94	1.00
<b>V अन्य राजकोषीय सुदृढता सूचक</b>					
निवेश का प्रतिफल	0.23	0.07	0.21	0.05	0.19
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(+) 357	(-) 1,384	(-) 46	(-)250	(+)775
वित्तीय परिसम्पतियाँ/दायित्व	0.76	0.82	0.77	0.82	0.90

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित स रा घ उ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

\* संगणन योग्य नहीं।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1, एवं 1.9.2; पृष्ठ-2 एवं 31)

भाग अ

वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्ति एवं सवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)					(₹ करोड़ में)					
प्राप्ति					सवितरण					
विविध मद	2011-12				विविध मद	2011-12	2012-13			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	11.
खण्ड-अ राजस्व										
I-राजस्व प्राप्ति		13,691.24		15,747.22	I-राजस्व व्यय	12,975.19	11,533.36	2,426.86	13,960.22	13,960.22
(i) कर राजस्व	5,615.62		6,414.24		सामान्य सेवायें	4,475.11	5,368.13	4.10	5,372.23	
(ii) करेतर राजस्व	1,136.13		1,602.88		सामाजिक सेवायें	6,019.65	4,146.27	1,949.57	6,095.84	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	2,866.04		3,272.88		शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	3,462.86	3,121.04	618.74	3,739.78	
(iv) आयोजनेतर अनुदान	762.09		868.64		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	698.05	486.58	318.89	805.47	
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,839.85		3,040.12		जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	435.35	146.10	362.53	508.63	
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	471.51		548.46		सूचना एवं प्रसारण	36.37	40.34	1.15	41.49	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	177.37	80.89	124.39	205.28	
		--			श्रम तथा श्रमिक कल्याण	54.00	52.44	18.18	70.62	
					समाज कल्याण एवं पोषण	1,136.36	212.92	467.78	680.70	
					अन्य	19.29	5.96	37.91	43.87	
					आर्थिक सेवायें	2,101.63	1522.10	473.19	1,995.29	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	1,191.58	811.30	246.76	1,058.06	
					ग्राम्य विकास	335.29	155.54	129.42	284.96	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	288.85	306.63	2.25	308.88	
					ऊर्जा	9.98	3.47	10.43	13.90	
					उद्योग एवं खनिज	42.86	26.81	16.62	43.43	
					परिवहन	175.30	190.64	19.24	209.88	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	13.62	0.85	8.30	9.15	
					सामान्य आर्थिक सेवायें	44.15	26.86	40.17	67.03	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	378.80	496.86	--	496.86	
योग		13,691.24		15,747.22	योग	12,975.19				13,960.22
II-राजस्व घाटा खण्ड-ब को अन्तर्गत		--		--	II- राजस्व अधिशेष खण्ड-ब को अन्तर्गत	716.05				1787.00

योग		13,691.24		15,747.22	योग	13,691.24			योग	15,747.22
III-स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष		1,229.40		1,085.18	III- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट					
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	IV- पूँजीगत परिव्यय	2,316.94	570.41	2,971.68	3,542.09	3,542.09
					सामान्य सेवायें	77.47	5.52	123.85	129.37	
					सामाजिक सेवायें	368.58	6.25	708.57	714.82	
					शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	131.47	6.25	240.57	246.82	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	93.66	--	139.31	139.31	
					जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	119.62	--	268.11	268.11	
					सूचना एवं प्रसारण	-	--	--	--	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11.93	--	37.35	37.35	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	4.16	--	5.98	5.98	
					अन्य	7.74	--	17.25	17.25	
					आर्थिक सेवायें	1,870.89	558.64	2,139.26	2,697.90	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	259.64	558.65	(-)16.68	541.97	
					ग्राम्य विकास	226.03	--	246.73	246.73	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	455.82	(-) 0.01	386.86	386.85	
					ऊर्जा	41.78	--	516.12	516.12	
					उद्योग एवं खनिज	0.62	--	16.86	16.86	
					परिवहन	857.30	--	969.14	969.14	
					सामान्य आर्थिक सेवायें	29.70	--	20.23	20.23	
					योग	2,316.94				3,542.09
V- ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ		90.65		428.44	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	246.83				272.57
विद्युत परियोजनाओं से	84.75		422.16	विद्युत परियोजनाओं के लिए	129.09	--	84.35	84.35		
सरकारी कर्मचारियों से	5.36		4.49	सरकारी कर्मचारियों को	1.17	1.03	--	1.03		
अन्य से	0.54		1.79	अन्य को	116.57	3.52	183.67	187.19		
VI- राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया	--	716.05		1787.00	VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया	-				
VII- लोक ऋण प्राप्तियाँ		2,335.52		2,967.43	VII- लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,015.78				1,472.21
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	2,289.12		2,932.72		अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	666.62			1,412.90	
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-		--		अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	322.90			30.69	

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	46.40		34.71		केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	26.26			28.62	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग	-			--	VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोग	(-400.00)				--
IX- आकस्मिकता निधि में अन्तर्गत राशि		126.13		32.22	IX- आकस्मिकता निधि से व्यय	69.07				32.07
X- लोक लेखा प्राप्ति		19,668.05		21,925.45	X- लोक लेखा संवितरण	19,832.00				20,961.24
लघु बचत एवं भविष्य निधि	1,272.45		1,159.18		लघु बचत एवं भविष्य निधि	646.40			888.06	
आरक्षित निधियाँ	648.94		279.72		आरक्षित निधियाँ	592.74			183.09	
जमा एवं अग्रिम	2,330.92		2,359.47		जमा एवं अग्रिम	2,298.02			2,140.68	
उत्त एवं विविध	12,366.08		15,010.04		उत्त एवं विविध	12,779.05			14,531.10	
प्रेषण	3,049.66		3,117.04		प्रेषण	3,515.79			3,218.31	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवर ड्राफ्ट					XI-अन्त में रोकड शेष	1,085.18				1,945.54
					कोषागार में रोकड एवं स्थानीय प्रेषण	(-) 5.38			--	
					स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड शेष	(-) 3.02			(-) 3.02	
					रिजर्व बैंक में जमा	116.01			(-)5.21	
					रोकड शेष का निवेश व नैमित्तिक निधि के निवेश	977.57			1,953.77	
योग	24,165.80			28,225.72	योग	24,165.80				28,225.72



## परिशिष्ट-1.4 (क्रमशः)

## भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर 1.9.1 ; पृष्ठ-31)

31 मार्च 2013 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2012 को	दायित्व	31.03.2013 को
16,848.09	आन्तरिक ऋण	18,337.22
83,94.18	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	9,194.32
0.14	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.13
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
8421.58	अन्य संस्थाओं से ऋण	9,141.27
30.69	अर्थोपाय अग्रिम	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	--
455.46	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	461.54
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
7.95	आयोजनेतर ऋण	6.65
420.82	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	430.19
0.04	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.04
26.12	केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	24.13
102.70	आकस्मिकता निधि	102.85
4,449.22	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	4,720.34
1,652.70	जमा	1,871.49
1,131.46	आरक्षित निधियाँ	1,228.09
-	प्रेषण शेष	--
24,639.63	योग	26,721.53

परिशिष्ट-1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2012 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2013 को
15,839.88	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	19,381.97
1,338.47	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1,857.55
14,501.41	अन्य पूँजीगत परिव्यय	17,524.42
874.08	ऋण एवं अग्रिम	718.21
414.67	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	76.86
462.38	अन्य विकास ऋण	629.70
(-) 2.97	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	11.65
115.00	आकस्मिकता निधि को विनियोग	115.00
1,340.47	प्रेषण	1,441.73
838.34	उचंत एवं विविध शेष	359.41
1,085.19	रोकड़	1,945.54
(-)5.38	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	
116.01	रिजर्व बैंक में जमा	(-)5.21
(-) 2.15	विभागीय रोकड़ शेष सहित	(-)2.15
(-)0.86	स्थायी अग्रिम	(-)0.87
977.57	रोकड़ शेष निवेश	1,953.77
4,546.67	सरकारी लेखों में घाटा	2,759.67
716.05	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटायें	1,787.00
-	(ii) विविध घाटा	--
5,262.72	वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	4,546.67
24,639.63	योग	26,721.53

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा। परिशिष्ट 1.4 में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपाजित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मर्दे या मूल्य ह्रास अथवा भण्डार के आँकड़ों में भिन्नता इत्यादि जैसी मर्दे लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। “रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 11.27 करोड़ (डेबिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

## परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ-9)

2012-13 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट से बाहरी अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राशि
1	राष्ट्रीय एस जे ई संस्थाओं के निधिपन हेतु योजना	एन आई वी एच: पंजीकृत समितियाँ [सरकारी, स्वायत्त निकायों (ए बी)]	14.20
2	आजीविका स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार एस जी एस वाई/एन आर एल एम	डी आर डी ए: पंजीकृत समितियाँ (सरकारी, ए बी.)	15.08
3	प्रौढ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, पंजीकृत (एन जी ओ)	5.55
4	वनीकरण एवं वन प्रबन्ध	उत्तराखण्ड राज्य वन विकास एजेन्सी, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी, ए बी)	6.25
5	स्वायत्त संस्थायें एवं पेशेवर निकाय	आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान परीक्षण विज्ञान (ए आर आई ई एस), पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 14.83 करोड़) और वाडिया संस्थान हिमालयन पुरातत्व (₹ 5.14 करोड़)	19.97
6	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	परियोजना प्रबंधन ईकाई स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड मक्खावाला, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी, स्वायत्त निकाय)	25.42
7	डी आर डी ए प्रशासन	विभिन्न जिलों के डी आर डी ए, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	8.13
8	वन एवं वन्य जीवन संस्थाओं को सहायता अनुदान	वन अनुसंधान संस्थान (भारतीय वनीकरण अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद), पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹109.76) और डब्लू आई आई (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹12.21 करोड़)	121.97
9	ग्रिड इन्ट्रेक्टिव रिन्यूवल पॉवर एम एन आर ई	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, राज्य सरकार पी एस यू	6.21
10	स्वास्थ्य हेतु जनशक्ति	महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के संस्थान	6.76
11	जल विद्युत परियोजनायें	जल विद्युत राजकीय संस्थान, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	4.74
12	एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	डी आर डी ए उत्तरकाशी समितियाँ प्रकार: पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 12.79 करोड़) और वाटर शेड पी एस यू (₹ 4.73 करोड़)	17.52
13	महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	विभिन्न जिलों की पंजीकृत समितियों के डी आर डी ए (सरकारी स्वायत्त निकाय)	268.27
14	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम - III	उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समितियाँ, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	11.74
15	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	लघु किसानों कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी), पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	16.25
16	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस डब्लू एस एम उत्तराखण्ड देहरादून पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	74.28
17	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति, पंजीकृत	113.38

	(एन आर एच एम और जे आई आई टी) केन्द्र प्रायोजित	समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 110.34 करोड़) और एस पी ओ उत्तराखण्ड, देहरादून (राज्य सरकार) पी एस यू (₹ 3.04 करोड़)	
18	ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	उत्तराखण्ड ऊर्जा नवीनीकरण विकास समिति, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 6.46 करोड़), रिलायन्स खाद्य प्रसंस्करण कम्पनी, निजी क्षेत्र कम्पनी (₹ 0.02 करोड़), मैसर्स गौतम पॉलिमर्स। निजी क्षेत्र कम्पनी (₹ 2.76 करोड़), उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राज्य सरकार पी एस यू (₹ 0.01 करोड़), सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, राज्य सरकार की सस्थायें (₹ 0.12 करोड़) और आई आई टी रुड़की, उत्तराखण्ड पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 1.13 करोड़)	10.50
19	पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान (पी वाई के के ए)	राज्य युवा कल्याण परिषद उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	4.67
20	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)	उत्तराखण्ड ग्राम सड़क विकास समिति देहरादून, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	151.24
21	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान, ऋषिकेश पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	16.50
22	प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डेस्टिनेशन्स एण्ड सर्विसस	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, स्टेटयूटरी बॉडीज	11.71
23	आर एण्ड डी इन न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलोजीज	आई आई टी रुड़की (₹ 8 करोड़) और यूनीवर्सिटी आफ पेट्रोलियम और एनर्जी स्टडीज (स्टेटयूटरी बॉडीज) (₹ 5.35 करोड़)	13.35
24	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद, पंजीकृत संस्थायें (सरकारी स्वायत्त निकाय)	96.64
25	संरक्षण और विकास के लिये अनुसंधान एवं विकास	जी बी पंत संस्थान हिमालयन, पर्यावरण एवं विकास पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 6.49 करोड़), वन अनुसंधान संस्थान, आई सी एफ आर ई, केन्द्र सरकार (₹ 0.13 करोड़), जी बी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, स्टेटयूटरी बॉडीज (₹ 0.01 करोड़)	6.63
26	अनुसंधान एवं विकास सहायक एस ई आर सी	डी ए वी (पी जी) महाविद्यालय, देहरादून, राज्य सरकार संस्थायें (₹ 0.07 करोड़), गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, पंजीकृत संस्थायें (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 0.55 करोड़), आई आई टी रुड़की, रुड़की, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 3.10 करोड़), आपदा प्रबन्धन केन्द्र, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 0.44 करोड़), इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 0.10 करोड़) और कुमाऊँ विश्वविद्यालय, स्टेटयूटरी बॉडीज (₹ 0.41 करोड़)	4.67
27	अनुसंधान एवं विकास जल स्रोत	राष्ट्रीय विद्युत जल संस्थान, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 10.50 करोड़), आई आई टी रुड़की (₹ 0.08 करोड़) और ₹ 0.02 करोड़ एन जी ओ को	10.60
28	ग्रामीण आवास (आई ए वाई)	जिला ग्रामीण विकास समिति, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	40.81
29	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, सरकारी समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	180.45

30	नए आई आई एम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	9.13
31	नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना (एन आई टी एस) चौधरी घनी खान संस्थान को शामिल करते हुए डी एच ई	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	9.50
32	कौशल विकास	राज्य परियोजना क्रियान्वयन ईकाई समिति, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2.08
33	भारतीय तकनीकी संस्थान को सहायता	आई आई टी रुडकी, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	146.20
34	राज्य सहायता विस्तृतीकरण योजना को राज्य के विस्तृतीकरण सुधार के लिये	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी), पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	4.63
35	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन यापन अभियान (एन यू एल एम)	राज्य ग्रामीण विकास समिति उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	6.26
36	अन्य	विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियां	106.71
<b>योग</b>			<b>1,568.00</b>

**परिशिष्ट-1.6**

(संदर्भ: प्रस्तर 1.8.3; पृष्ठ-28)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	शासकीय पूँजी का मध्यमान	ह्रासित लागत पर ब्लॉक परिसम्पतियाँ	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया मूल्य ह्रास	व्यापार	निवल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की	2009-10	188.81	90.43	6.61	608.22	(-) 0.79	27.76	26.97	31.62
2(अ)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	-	58.25	6.64	19,644.70	(-) 1,873.25	-	(-) 1,873.25	-
2(ब)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	-	9.97	1.00	8,357.23	(-) 1,797.44	-	(-) 1,797.44	-

## परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1 ; पृष्ठ - 44)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ 1 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>राजस्व-दत्तमत</b>					
1.	01	विधानमण्डल	19.06	2.09	10.96
2.	04	न्याय प्रशासन	1,35.33	50.90	37.61
3.	05	निर्वाचन	24.01	4.57	19.03
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4,33.40	64.40	14.85
5.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	26,42.36	5,49.18	20.78
6.	08	आबकारी	9.44	1.02	10.80
7.	10	पुलिस एवं कारागार	8,48.30	32.17	3.79
8.	11	शिक्षा, क्रीडा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	41,97.59	5,67.59	13.52
9.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,00.12	1,33.41	14.82
10.	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	6,22.89	1,53.22	24.60
11.	14	सूचना	43.14	1.84	4.27
12.	15	कल्याण	7,08.88	1,91.96	27.08
13.	16	श्रम एवं रोजगार	1,12.98	36.45	32.26
14.	17	कृषि कार्य एवं शोध	4,16.26	1,31.83	31.67
15.	18	सहकारिता	38.32	6.03	15.74
16.	19	ग्राम्य विकास	3,89.52	1,33.00	34.14
17.	20	सिंचाई व बाढ़	3,46.89	31.45	9.07
18.	22	लोक निर्माण	5,36.79	56.85	10.59
19.	23	उद्योग	71.39	11.32	15.86
20.	24	परिवहन	32.90	5.90	17.93
21.	25	खाद्य	3,83.21	2,30.83	60.24
22.	26	पर्यटन	72.75	30.05	41.31
23.	27	वन	3,72.90	27.10	7.27
24.	28	पशुपालन	1,33.32	9.04	6.78
25.	29	उद्यान विकास	1,08.91	7.19	6.60
26.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,07.17	1,14.39	22.55
27.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,53.54	36.68	23.89
<b>योग</b>			<b>1,42,61.37</b>	<b>26,20.46</b>	<b>18.37</b>
<b>राजस्व-भारित</b>					
1.	04	न्याय प्रशासन	28.47	5.87	20.62
2.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	22,81.08	41.44	1.82
3.	09	लोक सेवा आयोग	9.59	1.93	20.13
4.	22	लोक निर्माण	3.88	1.02	26.29
<b>योग</b>			<b>23,23.02</b>	<b>50.26</b>	<b>2.16</b>

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूँजीगत-दत्तमत					
1.	01	विधान मण्डल	24.60	22.00	89.43
2.	04	न्याय प्रशासन	21.00	3.76	17.90
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	51.04	9.12	17.87
4.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	70.52	20.60	29.21
5.	10	पुलिस एवं कारागार	76.18	43.76	57.44
6.	11	शिक्षा, क्रीडा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	3,59.49	1,22.03	33.95
7.	12	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,65.83	2,30.97	63.14
8.	13	जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास	5,59.50	3,07.99	55.05
9.	15	कल्याण	26.36	3.54	13.43
10.	19	ग्राम्य विकास	3,12.36	1,32.55	42.44
11.	20	सिंचाई व बाढ़	6,94.28	2,56.27	36.91
12.	21	ऊर्जा	9,51.12	3,68.40	38.73
13.	23	उद्योग	40.55	23.69	58.42
14.	24	परिवहन	1,65.20	43.95	26.60
15.	26	पर्यटन	74.34	55.32	74.41
16.	27	वन	57.76	16.32	28.25
17.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,61.60	2,03.71	56.34
18.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	94.78	54.28	57.27
<b>योग</b>			<b>43,06.51</b>	<b>19,18.26</b>	<b>44.54</b>
पूँजीगत-भारित					
1.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	22,97.13	8,09.76	35.25
2.	09	लोक सेवा आयोग	10.00	1.46	14.60
<b>योग</b>			<b>23,07.13</b>	<b>8,11.22</b>	<b>35.16</b>
<b>महा योग</b>			<b>2,31,98.03</b>	<b>54,00.20</b>	<b>23.28</b>



## परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.3 ; पृष्ठ - 46)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ 1 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पूँजीगत(दत्तमत)						
1.	14	सूचना	1.00	1.38	0.38	38.00
2.	17	कृषि कार्य एवं शोध	1,78.30	1,91.57	13.27	7.44
3.	22	लोक निर्माण	9,13.20	9,19.55	6.35	0.70
4.	25	खाद्य	32.00	18,42.59	18,10.59	5658.09
5.	29	उद्यान विकास	0.00	4.50	4.50	100.00
योग			11,24.50	29,59.59	18,35.09	163.19

**परिशिष्ट-2.3**

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7 ; पृष्ठ - 47)

प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
<b>क - राजस्व(दत्तमत)</b>					
1.	01 विधानमण्डल	18.84	16.97	1.87	0.22
2.	04 न्याय प्रशासन	1,29.17	84.43	44.74	6.16
3.	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4,21.16	3,69.00	52.16	12.24
4.	07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	26,29.00	20,93.18	5,35.82	13.36
5.	08 आबकारी	9.13	8.42	0.71	0.31
6.	11 शिक्षा,क्रीड़ा,युवा कल्याण एवं संस्कृति	39,85.03	36,30.00	3,55.03	2,12.56
7.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,64.80	7,66.71	98.09	35.32
8.	15 कल्याण	6,39.20	5,16.92	1,22.28	69.68
9.	16 श्रम एवं राजगार	81.72	76.53	5.19	31.27
10.	17 कृषि कार्य एवं शोध	396.14	2,84.43	1,11.71	20.12
11.	18 सहकारिता	37.01	32.29	4.72	1.31
12.	19 ग्रामीण विकास	3,78.19	2,56.52	1,21.67	11.32
13.	20 सिंचाई एवं बाढ़	3,46.49	3,15.43	31.06	0.40
14.	22 लोक निर्माण	4,88.24	4,79.95	8.29	48.55
15.	23 उद्योग	65.52	60.07	5.45	5.87
16.	24 यातायात	32.52	27.00	5.52	0.38
17.	25 खाद्य	3,82.99	1,52.38	2,30.61	0.22
18.	26 पर्यटन	51.13	42.70	8.43	21.61
19.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	4,75.47	3,92.79	82.68	31.71
20.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	1,37.49	1,16.85	20.64	16.04
<b>कुल राजस्व (दत्तमत)</b>		<b>1,15,69.24</b>	<b>97,22.57</b>	<b>18,46.67</b>	<b>5,38.65</b>
<b>ख - राजस्व (भारित)</b>					
1.	04 न्याय प्रशासन	23.95	22.60	1.35	4.52
2.	09 लोक सेवा आयोग	9.33	7.66	1.67	0.26
3.	22 लोक निर्माण	3.15	2.86	0.29	0.73
<b>कुल राजस्व (भारित)</b>		<b>36.43</b>	<b>33.12</b>	<b>3.31</b>	<b>5.51</b>
<b>ग- पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
1.	01 विधानमण्डल	22.60	2.60	20.00	2.00
2.	04 न्याय प्रशासन	20.00	17.24	2.76	1.00

3.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	55.44	49.92	5.52	15.08
4.	10 पुलिस और कारागार	41.00	32.42	8.58	35.18
5.	11 शिक्षा, क्रीडा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2,52.18	2,37.46	14.72	1,07.32
6.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,88.38	1,34.86	53.52	1,77.45
7.	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	4,92.50	2,51.51	2,40.99	67.00
8.	19 ग्रामीण विकास	2,92.36	1,79.81	1,12.55	20.00
9.	20 सिंचाई एवं बाढ़	5,98.23	4,38.01	1,60.22	96.05
10.	23 उद्योग	35.55	16.86	18.69	5.00
11.	26 पर्यटन	52.45	19.03	33.42	21.89
12.	27 वन	52.18	41.43	10.75	5.58
13.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,19.04	1,57.89	1,61.15	42.56
14.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	92.36	40.50	51.86	2.42
<b>कुल पूँजीगत (दत्तमत)</b>		<b>25,14.27</b>	<b>16,19.54</b>	<b>8,94.73</b>	<b>5,98.53</b>
<b>महा योग</b>		<b>1,41,19.94</b>	<b>1,13,75.23</b>	<b>27,44.71</b>	<b>11,42.69</b>

**परिशिष्ट-2.4**

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ-47)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	17	कृषि कार्य एवं शोध (पूँजीगत-दत्तमत)	26.47	1,51.83	1,78.30	1,91.58	13.28
2.	22	लोक निर्माण (पूँजीगत-दत्तमत)	6,97.00	2,16.20	9,13.20	9,19.55	6.35
3.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	7.00	25.00	32.00	18,42.59	18,10.59
योग			7,30.47	3,93.03	11,23.50	29,53.71	18,30.22

## परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ-48)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का  
अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1.	02	राज्यपाल	2012-03-090-03	(-)5.30	(-)29.11
2.			2012-03-103-03	(+)0.70	(-)17.01
3.	03	मंत्री परिषद	2013-00-105-03	(-)0.02	(+)42.20
4.	04	न्याय प्रशासन	2014-00-105-03	(-)21,16.33	(+)35.39
5.			2014-00-105-04	(-)3,28.05	(+)1,54.62
6.			2014-00-114-04	(-)77.64	(-)51.20
7.			2014-00-800-01	(-)14,03.95	(+)56.86
8.			2014-00-800-04	(-)56.46	(+)12.10
9.			2014-00-800-14	(-)4,54.67	(-)41.58
10.	05	चुनाव	2015-00-103-01	(-)34.18	(-)60.00
11.			2015-00-103-05	(-)1,30.43	(+)29.79
12.			2015-00-105-04	(-)1,60.46	(-)20.65
13.			2015-00-106-03	(-)83.34	(+)56.84
14.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2245-80-800-05	(-)37.00	(-)13.00
15.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2040-00-001-04	(-)73.75	(+)81.75
16.	08	आबकारी	2039-00-001-03	(-)3.00	(-)31.53
			2039-00-001-04	(+)3.00	(-)70.66
17.	10	पुलिस एवं कारागार	2055-00-001-03	(+)8.00	(-)1,59.26
			2055-00-109-04	(-)8.00	(-)1,47.07
18.	11	शिक्षा, क्रीडा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-01-101-04	(-)1,01,09.30	(-)36,92.38
19.			2202-01-102-07	(-)4.02	(+)60.74
20.			2202-01-102-18	(-)1,15.76	(-)1,24.41
21.			2202-01-104-03	(-)2,51.35	(-)4,30.66
22.			2202-01-104-05	(-)4,25.78	(-)34.32
23.			2202-03-103-03	(-)10,36.16	(-)1,90.80
24.			2202-03-103-04	(-)1,63.51	(-)55.01
25.			2202-03-103-08	(-)65.78	(-)114.74
26.			2202-03-104-03	(-)1.64	(+)3,35.00
27.			2203-00-001-03	(-)10.03	(+)20.59
28.			2203-00-105-03	(-)6,88.78	(+)44.59
29.			2203-00-112-03	(-)1,01.59	(-)80.00
30.			2204-00-001-10	(+)1.43	(+)11.78

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31.			2205-00-001-03	(-)8.46	(+)1,28.00
32.			2205-00-103-03	(-)20.49	(+)16.79
33.			4202-01-201-03	(-)21.33	(-)14,26.35
34.			4202-01-202-01	(-)9,81.36	(-)37,63.66
35.			4202-01-203-18	(-)0.01	(+)1,13.51
36.			4202-03-102-01	(-)80.00	(-)10,00.00
37.			4202-03-102-13	(-)1,76.41	(-)2,23.59
38.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-03	(-)2,52.87	(+)48.34
39.			2210-01-110-05	(-)1,13.96	(-) 94.92
40.			2210-03-104-03	(-)6,01.80	(-)87.40
41.			2210-03-110-09	(-)52.41	(+)21.93
42.			2210-03-110-17	(-)7,36.88	(+)19.12
43.			2210-03-110-23	(-)5.59	(-)11.51
44.			4210-02-110-08	(-)5.50	(-)14.41
45.	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	2215-01-101-05	(-)21.91	(+)25,13.40
46.			2215-01-101-97	(-)5,43.00	(-)24,57.00
47.			2215-01-800-04	(-)13.90	(-)16.70
48.			2215-02-106-05	(-)5.66	(-)14.34
49.	15	कल्याण	2235-02-102-01	(-)24,14.05	(-)1,12.37
50.			2235-02-102-06	(-)1,22.71	(+)13.13
51.	17	कृषि कार्य एवं शोध	2415-80-120-05	(-)1,11.94	(-)1,38.06
52.			2415-80-120-08	(+)1,11.94	(-)53.84
53.	18	सहकारिता	2425-00-800-19	(-)4,20.00	(-)1,80.00
54.	19	ग्राम्य विकास	2501-01-800-01	(-)33,01.73	(-)19.99
55.			2515-00-102-01	(-)7.07	(+)20.00
56.			2515-00-800-06	(-)1.27	(-)20.31
57.			2515-00-800-08	(-)20.62	(-)23,15.94
58.	20	सिंचाई एवं बाढ़	2700-00-001-04	(-)12,35.37	(-)89.14
59.			2701-13-101-02	(-)0.04	(-)13.03
60.			2701-14-101-02	(-)30.00	(-)15.00
61.			2702-03-102-03	(-)5.74	(-)3,99.98
62.			2702-03-103-03	(-)0.04	(+)4,99.93
63.			4700-05-800-01	(-)76,21.92	(-)19,37.71
64.			4700-06-800-02	(-)2,78.57	(+)6,03.36
65.			4702-00-800-01	(-)1,36,88.94	(-)3,48.72
66.	22	लोक निर्माण	3054-04-337-03	(-)16.68	(+)9,66.08
67.			4059-80-800-09	(-)20.00	(+)19.99
68.			4059-80-800-10	(-)10.18	(-)25.00
69.			5054-03-101-03	(-)43.30	(+)9,64.16
70.			5054-04-800-01	(-)1,00.49	(-)7,07.47
71.			5054-04-800-03	(-)12,63.55	(+)18,07.00
72.			5054-04-800-05	(-)20.50	(-)26.65
73.			5054-04-800-06	(-)41.05	(+)64,33.83

74.			5054-04-800-97	(-)75,99.34	(-)63,10.53
75.	23	उद्योग	2851-00-102-17	(-)2.00	(-)1,88.00
76.			2851-00-102-23	(+)19.00	(+)1,88.00
77.			2853-02-001-03	(-)29.04	(-)29.99
78.			2853-02-102-03	(-)0.04	(+)30.00
79.	29	उद्यान विकास	2401-00-119-03	(-)35.56	(-)5,88.04
80.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	4202-01-201-02	(-)94.76	(+)23.20
81.			4702-00-800-01	(-)36,00.00	(+)1,32.88
82.			5054-04-800-02	(-)51.79	(+)11,07.05
83.			5054-04-800-97	(-)34,00.00	(-)11,00.00

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ-48)

वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए भारी अभ्यर्पण

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान/विनियोग (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण का प्रतिशत
1.	03-मंत्री परिषद	2013-00-101-04	8.80	6.73	76.48
2.	04- न्याय प्रशासन	2014-00-105-04	4,11.95	3,28.05	79.63
3.		2014-00-105-05	50.0	50.00	1,00.00
4.		2014-00-800-01	20,44.40	14,03.95	68.67
5.		2014-00-800-10	46.22	46.22	1,00.00
6.		2014-00-800-14	6,49.60	4,54.67	70.00
7.		05- निर्वाचन	2015-00-106-05	66.00	33.35
8.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2245-80-800-03	50.00	50.00	1,00.00
9.		2245-80-800-08	92.22	63.56	68.92
10.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2052-00-090-04	4.00	2.08	52.00
11.		2052-00-090-11	38.14	29.31	76.85
12.		2052-00-090-13	26.00	17.04	65.54
13.		3451-00-092-04	2,00.00	1,71.58	85.79
14.		3451-00-092-05	10.00	10.00	1,00.00
15.		3451-00-092-09	5.00	3.92	78.40
16.		4216-02-800-11	1,00.00	1,00.00	1,00.00
17.		4216-02-800-13	1,00.00	1,00.00	1,00.00
18.		4216-02-800-14	1,00.00	1,00.00	1,00.00
19.		4216-02-800-15	50.00	32.78	65.56
20.		4216-02-800-16	500.00	4,87.33	97.47
21.	11-शिक्षा, क्रीडा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-01-102-01	5,90.00	3,77.49	63.98
22.		2202-01-104-05	5,22.02	4,25.78	81.56
23.		2202-01-800-99	10.00	10.00	1,00.00
24.		2202-03-800-08	3.00	3.00	1,00.00
25.		2202-05-102-04	78.94	68.94	87.33
26.		2202-05-102-06	20.00	20.00	1,00.00
27.		2202-05-102-07	10.00	10.00	1,00.00
28.		2202-05-102-09	2.50	2.50	1,00.00
29.		2202-05-102-10	10.00	10.00	1,00.00
30.		2202-05-102-11	25.00	25.00	1,00.00
31.		2202-05-102-12	15.00	15.00	1,00.00
32.		2202-05-102-13	54.31	41.12	75.71
33.		2203-00-104-04	30.00	30.00	1,00.00
34.		2203-00-800-97	15,00.00	13,00.00	86.67
35.		2204-00-001-05	80.00	43.33	54.16
36.		2204-00-001-09	20.00	20.00	1,00.00
37.		2204-00-104-03	10.00	09.00	90.00
38.		2205-00-102-01	12.75	12.69	99.53



39.		4202-01-203-11	50.00	27.42	54.84
40.		4202-02-104-01	16,00.01	12,00.01	75.00
41.		4202-02-105-07	5,00.00	5,00.00	1,00.00
42.		4202-02-105-09	5,00.00	5,00.00	1,00.00
43.		4202-04-106-03	2,80.00	1,61.40	57.64
44.	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-001-05	3,50.00	2,39.22	68.35
45.		2210-01-110-20	12.70	9.73	76.61
46.	15- कल्याण	2235-02-102-03	1,46,00.00	95,13.71	65.16
47.		2235-02-103-13	50.00	39.41	78.82
48.	19- ग्राम्य विकास	2515-00-102-05	10,34.88	954.78	92.26
49.		2515-00-102-12	2,00.00	1,33.43	66.72
50.		2515-00-102-18	44.01	26.66	60.58
51.		2515-00-102-19	6,00.00	6,00.00	1,00.00
52.		2515-00-102-21	80.00	80.00	1,00.00
53.		2515-00-102-97	55,00.00	37,52.00	68.22
54.		4515-00-102-04	25.00	25.00	1,00.00
55.		4515-00-102-05	5,00.00	3,33.33	66.67
56.		4515-00-102-09	50,00.00	50,00.00	1,00.00
57.	20- सिंचाई एवं बाढ़	2700-80-800-01	19,00.00	19,00.00	1,00.00
58.		2702-02-005-05	15.72	12.87	81.87
59.		2701-14-101-02	45.00	30.00	66.67
60.		4702-00-800-01	2,26,03.00	1,36,88.94	60.56
61.	22- लोक निर्माण	3054-80-800-04	95.00	85.61	90.12
62.		5054-04-800-07	50.00	50.00	1,00.00
63.	23- उद्योग	2851-00-102-20	10.00	10.00	1,00.00
64.		2851-00-102-21	15.00	15.00	1,00.00
65.		2851-00-800-07	1,00.00	1,00.00	1,00.00
66.		3425-60-600-01	7,20.00	7,20.00	1,00.00
67.		4859-02-800-01	28,04.00	22,93.00	81.78
68.		4859-02-800-10	2,00.00	2,00.00	1,00.00
69.	24-परिवहन	3055-00-190-06	5,00.00	4,20.40	84.08
70.		5055-00-050-06	40,00.00	40,00.00	1,00.00
71.		5055-00-050-07	50.00	50.00	1,00.00
72.		5055-00-050-08	50.00	50.00	1,00.00
73.		5055-00-050-09	1,00.00	1,00.00	1,00.00
74.	29- उद्यान विकास	2401-00-119-16	19.00	18.53	97.53
75.		2401-00-119-18	50.00	46.59	93.18
76.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	2202-03-103-03	50.00	50.00	1,00.00
77.		2205-00-102-02	55.00	42.71	77.65
78.		2210-03-103-03	33.50	33.50	1,00.00
79.		2010-03-110-91	1,25.00	1,25.00	1,00.00
80.		2235-02-102-02	42,00.03	28,53.14	67.93
81.		4202-01-201-01	8,57.70	5,51.95	64.35
82.		4202-02-105-03	1,60.00	1,60.00	1,00.00
83.		4202-02-105-04	1,25.00	1,25.00	1,00.00
84.		4202-02-105-05	1,00.00	1,00.00	1,00.00

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

85.		4210-02-110-02	1,50.00	1,50.00	1,00.00
86.		4210-02-110-03	20.00	20.00	1,00.00
87.		4210-02-110-04	80.00	80.00	1,00.00
88.		4702-00-800-01	36,00.00	36,00.00	1,00.00
89.		4702-00-800-02	30.00	30.00	1,00.00
90.		5055-00-800-03	30.00	20.00	66.67
91.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2202-01-800-01	822.59	6,32.00	76.83
92.		2202-03-796-03	6.00	6.00	1,00.00
93.		2203-00-105-03	40.00	40.00	1,00.00
94.		2210-03-796-06	10.40	8.09	77.79
95.		2210-06-800-02	3.00	2.49	83.00
96.		2235-02-796-01	873.60	618.02	70.74
97.		2501-01-796-01	372.18	187.46	50.37
98.		2515-00-796-10	15.00	11.54	76.93
99.		2515-00-796-13	40.00	40.00	100.00
100.		2515-00-796-14	10.00	10.00	100.00
101.		2515-00-796-97	96.56	50.56	52.36
102.		4202-01-201-01	180.57	140.41	77.76
103.		4202-01-203-03	80.00	66.20	82.75
104.		4202-02-104-03	70.00	68.91	98.44
105.		4202-02-105-03	35.00	35.00	100.00
106.		4202-02-105-05	30.00	30.00	100.00
107.		4702-00-796-01	1090.00	1090.00	100.00
108.		5054-04-796-01	30.00	29.20	97.33
109.		5054-04-796-97	500.00	500.00	100.00
110.		5055-00-800-03	8.40	5.60	66.67
<b>योग</b>			<b>8,52,28.70</b>	<b>6,43,14.24</b>	<b>75.02</b>

## परिशिष्ट-2.7 अ

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ-48)

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत					
1.	04-न्याय प्रशासन	1,35.33	50.90	52.68	1.78
2.	20-सिंचाई	3,46.89	31.45	38.42	6.97
योग		4,82.22	82.35	91.10	8.75

परिशिष्ट-2.7 ब  
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ-48)  
अन्तिम आधिक्य के बावजूद अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
पूँजीगत- दत्तमत					
1.	22-लोक निर्माण	9,13.20	9,19.55	6.35	24.51
योग		9,13.20	9,19.55	6.35	24.51

## परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ-48)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

I – अनुदान			
क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1.	01	विधान मण्डल (पूँजीगत-दत्तमत)	22.00
2.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-भारित)	8,09.76
3.	25	खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	2,30.84
4.	26	पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	30.05
5.	26	पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	55.32
6.	10	पुलिस एवं कारागार (राजस्व-दत्तमत)	32.17
7.	10	पुलिस एवं कारागार (पूँजीगत-दत्तमत)	43.76
8.	16	श्रम एवं रोजगार (राजस्व-दत्तमत)	36.45
9.	17	कृषि कार्य एवं शोध (राजस्व-दत्तमत)	1,31.83
10.	21	ऊर्जा (पूँजीगत-दत्तमत)	3,68.40
11.	27	वन (पूँजीगत-दत्तमत)	16.32
12.	27	वन (राजस्व-दत्तमत)	27.10
योग			<b>1,804.00</b>
13.	7	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-भारित)	41.44
योग			<b>41.44</b>
महा योग			<b>18,45.44</b>

**परिशिष्ट-2.9**

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ-49)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
1	2	3	4	5
1.	01- विधान मण्डल (राजस्व -दत्तमत)	2.09	0	2.09
2.	01- विधान मण्डल (पूँजीगत-दत्तमत)	22.00	0	22.00
3.	04-न्याय प्रशासन (पूँजीगत-दत्तमत)	3.76	0.24	3.52
4.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	64.40	2.20	62.20
5.	07-वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-दत्तमत)	5,49.18	5.79	5,43.39
6.	07- वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-भारित)	41.44	0	41.44
7.	07- वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-दत्तमत)	20.60	8.55	12.05
8.	07- वित्त कर नियोजन सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत- भारित)	8,09.76	0	8,09.76
9.	08- आबकारी (राजस्व-दत्तमत)	1.02	0	1.02
10.	09 – लोक सेवा आयोग (राजस्व-भारित)	1.93	0	1.93
11.	09 – लोक सेवा आयोग (पूँजीगत- भारित)	1.46	0	1.46
12.	10- पुलिस एवं कारागार (राजस्व-दत्तमत)	32.17	0	32.17
13.	10- पुलिस एवं कारागार (पूँजीगत-दत्तमत)	43.76	0	43.76
14.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति (राजस्व-दत्तमत)	5,67.60	2,44.31	3,23.29
15.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति (पूँजीगत-दत्तमत)	1,22.03	35.77	86.26
16.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	1,33.41	67.51	65.90
17.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	2,30.97	1.35	2,29.62
18.	13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (राजस्व-दत्तमत)	1,53.22	32.72	1,20.50
19.	13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	3,07.99	0.01	3,07.98
20.	14- सूचना (राजस्व-दत्तमत)	1.84	0	1.84
21.	15-कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	1,91.96	1,21.58	70.38
22.	15-कल्याण (पूँजीगत -दत्तमत)	3.54	1.00	2.54
23.	16-श्रम एवं रोजगार (राजस्व-दत्तमत)	36.45	0	36.45
24.	17-कृषि कार्य एवं शोध (राजस्व-दत्तमत)	1,31.83	0	1,31.83
25.	17-कृषि कार्य एवं शोध (पूँजीगत-दत्तमत)	13.27	0	13.27
26.	18- सहकारिता (राजस्व-दत्तमत)	6.03	0	6.03
27.	19-ग्राम्य विकास (राजस्व-दत्तमत)	1,33.00	95.74	37.26
28.	19-ग्राम्य विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	1,32.55	1,05.21	27.34
29.	20- सिंचाई एवं बाढ़ (पूँजीगत-दत्तमत)	2,56.27	2,15.89	40.38
30.	21- ऊर्जा (पूँजीगत-दत्तमत)	3,68.40	0	3,68.40
31.	22-लोक निर्माण (राजस्व-दत्तमत)	56.85	0.45	56.40
32.	24-परिवहन (पूँजीगत-दत्तमत)	43.95	42.70	1.25
33.	25- खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	2,30.84	0	2,30.84

34.	26- पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	30.05	0	30.05
35.	26- पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	55.32	0	55.32
36.	27- वन (राजस्व-दत्तमत)	27.10	0	27.10
37.	27- वन (पूँजीगत-दत्तमत)	16.32	0	16.32
38.	28-पशुपालन (राजस्व-दत्तमत)	9.04	0	9.04
39.	29-उद्यान विकास (राजस्व-दत्तमत)	7.19	2.16	5.03
40.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	1,14.39	70.25	44.14
41.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	2,03.71	85.28	1,18.43
42.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	36.68	19.46	17.22
43.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	54.28	24.62	29.66
<b>योग</b>		<b>52,69.65</b>	<b>11,82.79</b>	<b>40,86.86</b>

**परिशिष्ट-2.10**

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ-49)

30/31 मार्च 2013 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	11	2202- सामान्य शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	212.85	5.26
2.	11	2203- तकनीकी शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	29.08	28.27
3.	11	4202- सामान्य शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	35.77	9.95
4.	12	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (राजस्व-दत्तमत)	53.93	6.64
5.	12	2211- परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	13.58	15.39
6.	13	2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत)	32.43	7.50
7.	15	2235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	121.58	21.03
8.	19	2501- ग्राम्य विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (राजस्व-दत्तमत)	33.02	42.00
9.	19	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (राजस्व-दत्तमत)	62.72	20.17
10.	19	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	105.21	33.68
11.	20	2700- वृहद सिंचाई (राजस्व-दत्तमत)	36.71	14.09
12.	20	4700- वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	79.00	22.18
13.	20	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	136.89	59.81
14.	22	5054- सड़कों व पुलों पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	24.21	2.66
15.	23	4859- दूर संचार एवं यान्त्रिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	22.93	58.66
16.	24	5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	42.70	98.16
17.	30	2202- सामान्य शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	24.37	20.63
18.	30	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	28.53	24.56
19.	30	4202- शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	10.53	32.18
20.	30	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	36.30	100.00
21.	30	5054- सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत -दत्तमत)	34.52	41.89
22.	31	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय पूँजीगत -दत्तमत)	10.90	95.20
<b>योग</b>			<b>1187.76</b>	<b>12.70</b>



**परिशिष्ट-2.11**  
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.12; पृष्ठ-49)  
व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष योजना/सेवा	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2013 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					जनवरी-मार्च 2012	मार्च 2013
1.	2015	10.16	4.92	19.44	52.26	25.31
2.	2030	15.51	7.69	22.95	67.58	33.51
3.	2049	10,14.89	6,97.81	20,88.73	48.59	33.41
4.	2203	31.04	17.87	74.06	41.91	24.13
5.	2215	2,17.01	1,05.96	4,15.52	52.23	25.50
6.	2216	1.18	0.95	1.90	62.11	50.00
7.	2217	41.99	33.07	91.21	46.04	36.26
8.	2225	1,02.84	69.84	2,05.28	50.10	34.02
9.	2250	31.00	23.29	43.81	70.76	53.16
10.	2251	0.05	0.04	0.06	83.33	66.67
11.	2408	1,13.15	1,10.47	1,47.50	76.71	74.89
12.	2425	20.06	8.83	35.15	57.07	25.12
13.	2501	27.39	13.28	58.54	46.79	22.69
14.	2701	7.38	4.88	13.17	56.04	37.05
15.	2702	45.64	16.93	68.75	66.39	24.63
16.	2711	1.86	0.99	4.14	44.93	23.91
17.	2810	9.95	1.58	13.86	71.79	11.40
18.	3054	1,02.71	86.38	1,83.26	56.05	47.14
19.	3454	8.24	6.18	16.30	50.55	37.91
20.	4055	22.78	21.76	28.50	79.93	76.35
21.	4059	82.50	39.27	1,00.87	81.79	38.93
22.	4202	2,18.41	1,80.11	2,46.82	88.49	72.97
23.	4210	1,15.88	1,01.51	1,34.52	86.14	75.46
24.	4211	2.89	2.05	4.80	60.21	42.71
25.	4215	66.24	17.44	1,12.97	58.64	15.44
26.	4216	7.43	5.67	12.31	60.36	46.06
27.	4217	74.97	74.97	1,42.82	52.49	52.49
28.	4225	36.37	32.42	37.35	97.38	86.80
29.	4235	3.85	3.85	5.98	64.38	64.38
30.	4250	10.59	10.59	17.25	61.39	61.39
31.	4401	25.82	20.64	17.23	149.85	119.79
32.	4403	3.33	2.39	7.03	47.37	34.00
33.	4406	24.25	15.40	41.51	58.42	37.10
34.	4515	1,07.98	37.79	2,46.73	43.76	15.32
35.	4700	1,67.79	1,40.69	2,57.95	65.05	54.54
36.	4701	0.61	0.56	0.61	100.00	91.80

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

37.	4702	67.09	39.94	88.79	75.56	44.98
38.	4711	25.20	24.60	39.50	63.80	62.28
39.	4801	4,54.88	4,52.67	5,16.12	88.13	87.71
40.	4859	13.81	10.70	16.16	85.46	66.21
41.	5053	95.17	95.18	95.44	99.72	99.73
42.	5054	4,90.54	3,57.02	8,72.77	56.20	40.91
43.	5055	0.54	0.54	0.93	58.06	58.06
44.	5452	14.83	5.69	20.23	73.31	28.13
45.	6003	7,79.82	4,17.22	14,58.74	53.46	28.60
46.	6075	3.08	0.00	3.08	100.00	0.00
47.	6401	1,40.83	1,00.83	1,56.36	90.07	64.49
48.	6425	1.80	0.96	2.31	77.92	41.56
49.	7055	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00
50.	7610	0.56	0.17	1.03	54.37	16.50
<b>योग</b>		<b>48,86.89</b>	<b>34,48.59</b>	<b>82,15.34</b>	<b>59.48</b>	<b>41.98</b>

## परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: प्रस्तर 2.4.1 ; पृष्ठ-51)

वर्ष 2012-13 तक के लम्बित डी. सी. बिल  
(अगस्त 2013 को स्थिति)

(₹ लाख में)

विभाग	मुख्य शीर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
पशुपालन	2403	6	5.22
चुनाव	2015	5	9.93
सामान्य शिक्षा	2202	75	2,73.43
चिकित्सा	2210	8	4,48.82
दैवीय आपदा में राहत	2245	5	1,05.84
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235	5	81.76
श्रम एवं रोजगार	2230	1	15.00
शिक्षा, खेल-कूद एवं संस्कृति	2205	2	87.44
खाद्य भण्डारण एवं भण्डारागार	4408	10	40.00
अन्य		46	34.19
<b>योग</b>		<b>163</b>	<b>11,01.63</b>

**परिशिष्ट-3.1**

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2; पृष्ठ-60)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमीकरण  
एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखों की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
<b>सिंचाई विभाग:</b>				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रूड़की	2009-10	1.89	--
<b>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग</b>				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	--	--
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	--	

## परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ-60)

दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण  
(वे मामले जिनमें मार्च 2013 के अन्त में अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	विलम्बित मामलों की संख्या						कुल मामलों की संख्या
		0-1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 वर्ष या अधिक	
1.	शिक्षा	--	--	--	--	01 (3/2009)	--	01
2.	वन	01 (3/2012)	02 (4/2011 और 6/2011)	--	--	--	--	03
	योग	01	02	--	--	01	--	04

**परिशिष्ट-3.3**

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ-60)

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सम्पत्ति की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सम्पत्ति का दुर्विनियोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
शिक्षा	--	--	01	1.07	01	1.07
वन	--	--	03	142.71	03	142.71
<b>योग</b>	--	--	<b>04</b>	<b>143.78</b>	<b>04</b>	<b>143.78</b>

## परिशिष्ट-4.1

## शब्दावली

क्रमांक	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्वयता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु के दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर पोषण के समर्थन हेतु प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियाँ की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन

		बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्त बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्ति से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियाँ की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्ति का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणोत्तर प्राप्ति	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<http://agua.cag.gov.in>

Designed & Printed at Shiva Offset Press, Dehradun Ph. 0135-2715748